11/07/25

प्रार्थी मगसिंह वगैरा की ओर से वकील श्री राणाराम गौड़ द्वारा यह आवेदन पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रर्थी संख्या 03, 07, 1, 04, 06, 14 से 16 के वकील उपस्थित शेष विप्रार्थीगण अनुपस्थित हैं नोटिस तामिल हैं अतः अनुपस्थित होने पर एकपक्षीय कार्यवाहीं अमल में लाई जाती हैं।

उभय पक्षो की बहस सुनी गई।। वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण की पैतृक एंव पुश्तैनी भूमि मोजा बाड़मेंर गादान पटवार हल्का बाड़मेंर आगोर तहसील व जिला बाड़मेंर के खसरा संख्या 2209 रकबा 09 बीघा 13 बिस्वा अर्थात 1.5621 हैक्टेयर व खसरा संख्या 2717/2211(2211/2) रकबा 51 बीघा 13 बिस्वा अर्थात 8.3607 हैक्टेयर की अवस्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की पैतृक व पुश्तैनी भूमि थी जो वक्त सेटलमेंट प्रार्थीगण के दादा देवा पुत्र फूसा व राणा पुत्र फुसा जाति बजीर सा.द खातेदार के नाम दर्ज हुई थी। जिसमें राणा के लाऔलाद फौत होने पर जिसमें राजस्व रेकर्ड में नामान्तरणकरण संख्या 769 स्वीकृत दिनांक 24.08.1976 के द्वारा राणा का नाम हटाकर खातेदार देवा पुत्र फुसा में निहित कर दी गई। प्रार्थीगण के दादा देवा द्वारा खसरा संख्यचा 2211 में 13 बीघा भूमि का बेचान गुणेशा पुत्र भुरा को किया गया जिस पर वादग्रस्त आराजी विभाजित होकर खसरा संख्या 2211/2 रकबा 51 बीघा 13 बिस्वा कायम किया गया।चंकि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की पैतृक है जिसमें उनका जन्म से ही हक व हिस्सा निहित हो जाता हैं । वादग्रस्त सम्पूर्ण आराजी में प्रार्थीगण के पिता मोहनसिंह का हिन्दू विधि अनुसार 1/12 एंव प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 07 का भी 1/12–1/12 हिस्सा निहीत था किन्तु राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण का नाम दर्ज नहीं होने से विप्रार्थी धापूदेवी, मूमल व अन्य सुशीलादेवी व उनके परिवारजन द्वारा प्रार्थीगण के पिता मोहनसिंह से उनके वैद्य हक हिस्से ज्यादा भूमि का अन्तरण प्रार्थीगण की सहमति के बिना कर दिया और अपना नाम दर्ज करवा दिया। इन विप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि का

सहायक कलक्टर
(SDO), बाड़मेंर

आगे और बेचान कर दिया तथा वादग्रस्त आराजी का विना किसी विधिवत बंटवाड़े के बेचान कर अन्यत्र हस्तानान्तरण करने पर उतारू हैं। यदि विप्रार्थीगण उसमें सफल होते हैं तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। लिहाजा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की जारी करें कि वादग्रस्त भूमि मोजा बाड़मेंर गादान पटवार हल्का बाड़मेंर आगोर तहसील व जिला बाड़मेंर के खसरा संख्या 2209 रकबा 09 बीघा 13 बिस्वा अर्थात 1.5621 हैक्टेयर व खसरा संख्या 2717/2211(2211/2) रकबा 51 बीघा 13 बिस्वा अर्थात 8.3607 हैक्टेयर में रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखें।

वकील विप्रार्थी संख्या 01, 04, 06, 15 व 16 के द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि प्रार्थीगण ने न्यायालय को गुमराह करने की नियत से सभी पैतृक व पुश्तैनी खसरान की भूमि का विवरण नहीं देकर केवल मात्र दो खसरान की भूमि का अंकन किया हैं। विप्रार्थी संख्या 7 व 8 मृतक फूसाराम के वैद्य वारिशान हैं तथा प्रार्थीगण एंव विप्रार्थी संख्या 7 मृतक मोहनसिंह के वैद्य वारिशान हैं इस बाबत प्रार्थीगण को सक्षम सिविल न्यायालय से वैद्य वारिशान एंव उतराधिकारी होने के सबंध में उतराधिकारी प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही निश्चित हो सकेगा। क्योंकि राजस्व न्यायालय को किसी का उतराधिकारी घोषित करने का अधिकार नहीं है इस कारण यह प्रकरण सिविल न्यायालय से प्राप्त उतराधिकारी प्रमाण पत्र के अभाव में यह इस राजस्व न्यायालय में पोषणनीय नहीं होने से खारिज के काबिल हैं। प्रार्थीगण के द्वारा केवल नामान्तरणकरण में विरासत का हवाला देकर जमावन्दियों में नाम अंकित हाने का बताया है जबकि फौतगी के नामान्तरणकरण की कार्यवाहीं एक फिस्कल प्रोसिंडींग हैं जिससे उतराधिकारी होने का प्रमाण नहीं माना जा सकता है । वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के पिता मोहनसिंह द्वारा जो भूमि का विक्रय किया गया है वह पूरे परिवार की संयुक्त सहमति लेकर किया गया है। प्रार्थीगण के रिश्तेदारों द्वारा जो हकतर्कनामा एंव अन्य दस्तावेज द्वारा भूमि का प्रार्थीगण के पक्ष में या उसके पिता के पक्ष में करने का वैद्य है लेकिन इनके द्वारा किये गये बेचान वैद्य नहीं होने बाबत किसी प्रकार स्पष्ट कथन नहीं किये गये है तथा पंजीबद्ध दस्तावेजों में से कोनसे दस्तावेज वैद्य है एंव कोनसे

सहायक कलक्टर
(SDO), बाड़मेर

अवैद्य है इसका निस्तारण करने का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं हैं विप्रार्थीगण उक्त आराजी में रेकर्डड सह खातेदार हैं तथा खातेदारी भूमि के सबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय एंव सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त पारित किये है कि रेकर्डेडेट सह खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार का स्थगन जारी नहीं किया जा सकता हैं, अपूरणीय क्षति, सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है इसलिए उक्त आवेदन खारीज किया जावें।

पत्रावली के संलग्न रेकर्ड का अवलोकन किया गया, उभय पक्षों की बहस पर मनन किया, प्रार्थीगण द्वारा वाद खातेदारी घोषणा से सबंधित पेश किया गया हैं जिसमें समय–समय पर कई बेचान किए गए हैं खातेदारी अधिकारों का निर्धारण साक्ष्य–सबूतों के आधार पर मूल वाद के निस्तारण से हीं संभव हैं ऐसी सह खातेदारों को स्थगन से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत नही होता है और न ही सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि यह आवेदन खारिज किया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णिय क्षति होने की संभावना भी नही है।

अतः प्रार्थीगण का आवेदन पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO), बाड़मेर